

1025

जिला चिकित्सा मंडल, बिलासपुर (छ.ग.)


क्रमांक

दिनांक 19/5/06

NOT VALID FOR M.L.C., COURT CASES
& CONSUMER FORUM CASES.

विकलांगों के लिए

स्थाई विकलांगता प्रमाण-पत्र



जिला मेडिकल बोर्ड बिलासपुर के सदस्य एवं अध्यक्ष प्रमाणित करते हैं।

M. S. P.
Orthopedic
S. P. Hospital.

हमने श्री / कु. / श्रीमती *किशन*

आत्मज / आत्मजा / पति *आमका*

उम्र 13

निवास *बेकतरा प.स. कर्मना* का व्यक्तिगत रूप से आज परीक्षण किया।

आज दिनांक 19/5/06 को यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री / कुमारी /

श्रीमती *श्री किशन कुमार* निम्नलिखित अस्थिबाधित विकलांगता से पीड़ित है -

Ampulee @ upper limb AE

भारत सरकार समाज कल्याण के गजट नोटिफिकेशन क्रमांक G-2 / 83-HW III / दिनांक 6 अगस्त 86 के अनुसार इनकी विकलांगता *80%* (..... *Eighty Percent*) का प्रतिशत है।

- टिप्पणी :-
- (1) इसकी विकलांगता में सुधार की अपेक्षा नहीं है।
 - (2) पुर्नमूल्यांकन की आवश्यकता नहीं है।

सदस्य
जिला मेडिकल बोर्ड

M. S. P.
अस्थिरोग विशेषज्ञ
Orthopedic Surgeon,
जिला मेडिकल बोर्ड, Bilaspur (C.G.)
S. P. Hosp.

S. P. S.
अध्यक्ष
जिला मेडिकल बोर्ड

सौजन्य

पंजी. क्र. 2156

अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद्

केन्द्रीय कार्यालय: ऋषि कालोनी, इंदिरा नगर वार्ड, मकान नं. 392/481 बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

फोन: नि. 227724 / क्लि. 222263 / फैक्स: 07752-221932

Email-viklag@rediffmail.com

